Ganga Saran Saraswat

विक्रय पत्र 48000/-रुपये-स्टाम्प 5520/-रुपये-आवास शुल्क सहित-भूमि 2430' वर्गफुट अर्थात 225•99 वर्गमीटर-लिस्ट के अनुसार रेट 200/-रुपये प्रति वर्गमीटर से मालयत 45198/-रुपये-बुनियाद की मालयत 2000/-रुपये-सड़क से लगभग 400' फुट दूर-

मैं गंगा सरन सारस्वत पुत्र पं॰भगवती प्रसाद निवासी रेलवे स्टेशन ज्वालापुर पोस्ट व परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार जिला सहारनपुर का हूं ।

विदित हो कि एक प्लाट नम्बर 46 छियालिस जिसका माप 60'×40'-6" साठ फुट गुणा चालिस फुट छः इंच क्षेत्रफल 2430' दो हजार चार सौ तीस वर्गफुट है जिसकी बुनियाद शरी है जो अन्दर सीमा नगर पालिका समिति हरिद्वार - स्थित श्रीरामनगर ग्राम अहमद पुर कड़छ परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार - जिला सहारनपुर जिसके पूर्व-चक्की नाथीराम, पश्चिम-गली 12' बारह फुट चौड़ी, उत्तर-मकान सुभाष चन्द धवन क्रेता, व निर्मला चन्द धवन, दक्षिण-रास्ता 20' फुट चौड़ा है, जिसका मैं बिना किसी अन्य साझी या भागी के स्वामी व अधिकारी-

हूं जो मैने बजरिये बैनामा दिनांक 4-12-74 प्रमाणित 4-12-74 जिसकी - रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 221 के पृष्ठ 339/340 मे नम्बर 1455 पर - कार्यालय स०र०हरिद्वार हुई है श्रीमती सुरेन्द्र कौर आदि के मुख्तार आम श्री- विजय कुमार लेठी से खरीदा हुवा है जो आज दिनांक तक हर प्रकार के भार व ऋण से शुद्ध व मुक्त है मेरे कब्जे व दखल मे चला आता है और मुझे उपरोक्त प्लाट विक्रय करने के पूर्ण हकूक हासिल हैं मैने उपरोक्त प्लाट का कोई सौदा- किसी दीगर व्यक्ति से नहीं किया । अत: आज दिनांक मे मैने उपरोक्त प्लाट भूमि मय कुल जुमले हक हकूक हर प्रकार के सहित जो भी इसके साथ हैं बिल-ऐवज- मुबलिग 48000/-अडतालिस हजार रुपये के बदले मे श्री सुभाष चन्द धवन पुत्र श्री राम मूर्ति धवन निवासी श्रीरामनगर ज्वालापुर पोस्ट व परगना ज्वालापुर - तहसील हरिद्वार जिला सहारनपुर के प्रति विक्रय कर दिया है और अपना - कब्जा व दखल उपरोक्त प्लाट से उठाकर क्रेता का कब्जा व दखल मौके पर - बखूबी करा दिया है मूल्यराशी कुल पहले प्राप्त कर ली है कोई रकम शेष - नहीं रही अब मेरा व मेरे वारसान का कोई सम्बन्ध विक्रीत प्लाट से नहीं रहा भविष्य मे भी नहीं होगा । क्रेता को अधिकार है कि इसमे अपना भवन निर्माण

Ganga Saran Saswal

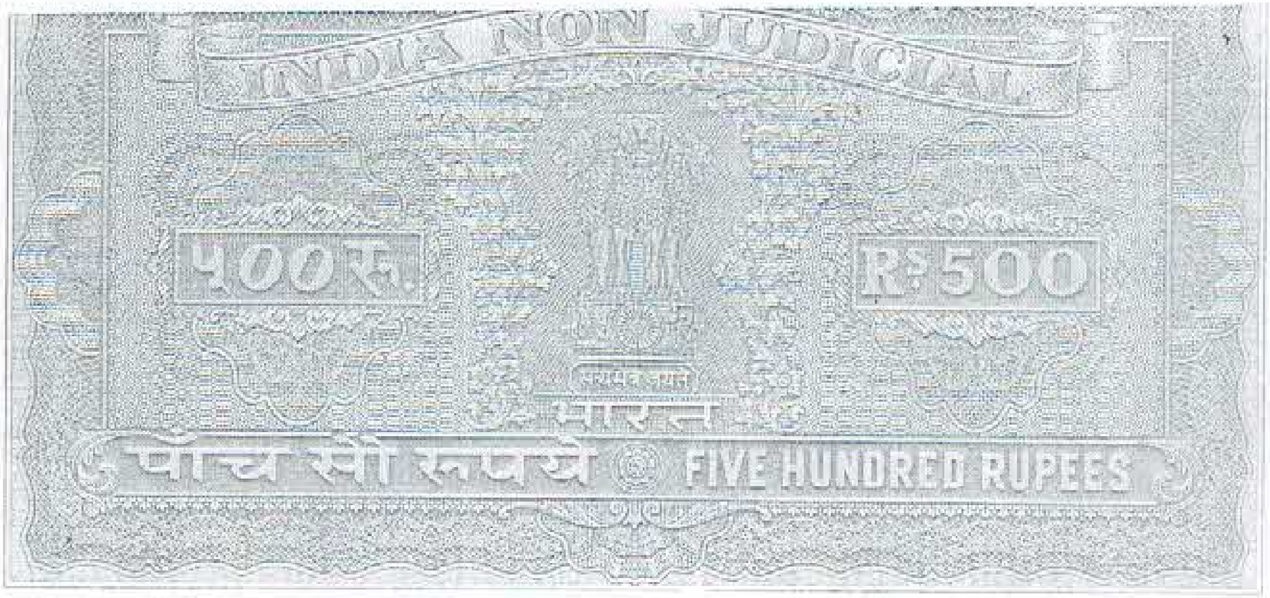




करे हर प्रकार से अपने प्रयोग मे लावे या किसी को विक्रय आदि करे और हर प्रकार का लाभ उठावे मेरा व मेरे वारसान का अब विक्रीत प्लाट मे किसी-- प्रकार का कोई हक नहीं रहा भविष्य मे भी नहीं होगा । यदि मेरे किसी- स्वत्व कानूनी की त्रुटि के कारण कुल या अंशा विक्रीत प्लाट भूमि क्रेता के अधिकार से निकल जावे तो प्रत्येक अवस्था मे क्रेता को अधिकार होगा कि - अपना रुपया मय हर प्रकार के हरज खरचे व ब्याज कानूनी सहित मुझसे व मेरी हर,प्रकार की सम्पत्ति चल व अचल व जात खास से हस्ब मरजी व अख्त्यार खुद जिस तौर पर चाहे वसूल कर ले मुझे व मेरे वारसान को कभी कोई आपत्ति - नहीं होगी । मैं प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार हूं जो वास्तव मे-

Ganga Saran Saraswat

-:4:-

एक विक्रेता पर आयद होती है ।

अत:यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

---

तहरीर तारीख = 23 जनवरी सन् 1987 ई॰

Ganga Saran Saxena

सा॰ Dr. Mahboob Jung s/o ch. Allimuddeen Harduar Road Jwalapur

सा॰ मुकेश वर्मा
A.G. ...

टाईपकर्ता एंव रचियता:-

गोविन्द ... 23/1/87

दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर
गोविन्दराम वर्मा, दस्तावेज लेखक
अनुज्ञप्ति संख्या 6 एन. हरिद्वार
ज्वालापुर ...

492 28-1-87 20/-

489

सत्यमेव जयते

प्रदेश

बही नं. 1 जिल्द 536 के पृष्ठ 105/107 में क्र. 294 पर आज दि. 5/2/87 को रजिस्टर्ड की गई